

विधानमण्डल LEGISLATURE

सदस्यो का निर्वाचन - अनु० 171(3) Election of Members - Art 171(3)

विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपादिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।

The Members of the Legislative Council are elected indirectly according to the system of proportional representation by means of the Single transferable vote.

1. विधानसभा का निर्वाचक मण्डल

↳ विधान परिषद के एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा
Electoral College of the Legislative Assembly One third $\frac{1}{3}$ members of the Legislative Council are elected by the members of the Legislative Assembly.

2. स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मण्डल

↳ विधान परिषद के $\frac{1}{3}$ सदस्य नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा

Electoral College of Local Members $\frac{1}{3}$ members of the Legislative Council by Municipalities district panchayats and other Local institutions.

3. शिक्षकों का निर्वाचक मण्डल - विधान परिषद के सदस्य का $\frac{1}{12}$ भाग माध्यमिक

विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में से कम से कम तीन वर्ष से शिक्षण कर रहे अध्यापकों द्वारा.

Electoral College of teachers $\frac{1}{12}$ part of the members of the Legislative Council by teachers who have been teaching for at least three years in Secondary Schools or higher education institutions.

4. स्नातकी का निर्वाचित मण्डल

↳ विधान परिषद के सदस्य का $\frac{1}{12}$ भाग स्नातकी द्वारा जिन्हें स्नातक किया तीन वर्ष हो चुके हो
Electoral College of graduates $\frac{1}{12}$ part of the Legislative Council by the graduates who have completed three years of graduation.

5. राजपाल द्वारा मनोनीत सदस्य

↳ विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का $\frac{1}{6}$ भाग members nominated by Governor $\frac{1}{6}$ of the total Number of members of the Legislative Council.

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी, आन्दोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाली को मनोनीत

Nominated to those having Special knowledge or experience in the Field of literature, Science, art Cooperative movement or Social Service.

सदस्यों की योग्यताएं - अनु. 173

Qualification of members

- * भारत का नागरिक citizen of India.
- * आयु - 30 वर्ष Age 30 year.
- * कार्यकाल - एकवर्षीय है Tenure - Parliament House

NOTE - विधान परिषद उच्च न्यायालय है इसे भंग / Disolve नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है।

सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

* प्रत्येक ^{दूसरे} वर्ष एक तिहाई सदस्य रिटायर
One third of the members retire every Second Year.

उच्च न्यायालय
High Court

→ भाग 1 पन्ना - 6 Book
→ अनु. (214-232) (214-231)

#

भारतीय उच्च न्यायालय अधि. 1861
Indian High Court act 1861
→ भारतीय परिषद अधि. 1861
Indian Council act 1861

→ 3 High Courts -
① कुल उच्च न्यायालय 2 July 1862
② बम्बे High Court - 14 Aug 1862
③ महाराष्ट्र High Court - 15 Aug 1862

High Court की स्थापना / Establishment

→ Art 214, 231, 241

Art 214 - प्रत्येक राज्य का High Court - वर्तमान में
25 H.C

→ 25वाँ / 25th H.C - 1 Jan 2019

→ अण्डमानी (अमरावती)

[Ajit 231]

↳ दो पादों से आविष्ट राज्य (20th More than 2 States)
एवं केन्द्र शासित प्रदेश (UT) का एक Common High
Court बनाया जा सकता है।

Ex - कुलकर्णी उच्च न्याय.
बोम्बे H.C

[Ajit 241] - केन्द्र शासित प्रदेश (UT) का अलग High Court
बनाया जा सकता है।
1st UT - 1966 दिल्ली H.C

NOTE - 26 Jan 2013 - गुवाहाटी High Court से 3 नये H.C
अलग किए।

↳ 3 New H.C - मणिपुर H.C
- त्रिपुरा H.C
- मेघालय H.C

1 Jan 2019 - 25वां - आखिरी प्रदेश H.C

[Ajit 215]

↳ High Court एक अमिलेख मापदण्ड | Count of
Record - होगा।